constituted on 1st September, 1996 as per the provisions of the Technology Development Board Act, 1995. No project has been funded so far. As such no product/process has been developed. Nor any patents have been filed so far.

(d) Expert Committees will monitor the progress of the projects funded by the Board.

Construction of latrines under Rural Sanitation Programme

2868. PROF. RAM KAPSE: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether construction of individual latrines is undertaken under the Centrally sponsored Rural Sanitation Programme;

(b) if so, whether Government propose to increase the prescribed cost per unit from Rs. 2500 (in 1992) to at least Rs. 4000, as on date;

(c) whether Government have received any proposal or request to enhance the prescribed cost per unit from the Maharashtra Government;

(d) if so, the action taken thereon; and

(e) if no action has been taken so far, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI CHANDRADEO PRASAD VARMA): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Yes, Sir.

(d) The State Government was requested to furnish details of the drawings & other specifications of the model of the improved sanitory latrines for assessing the feasibility of acceptance of enhanced unit cost. The response is awaited from the statement.

(e) Does not arise.

बेरोजगार युवकों के लिए पेट्रोल पम्प और गैस एजेंसी

2869. श्री मोहम्मद आजम खान: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार देश में विशेष रूप से शिक्षित लोगों में बेरोजगारी को कम करने के लिए 40 वर्ष की आयु तक इण्टरमीडिएट अथवा उससे उच्च योग्यता वाले व्यक्तियों को पेट्रोल पम्प अथवा गैस एजेंसियां आवंटित करने का विचार रखती है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू): ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

पर्वतीय विकास हेतु प्रथम मंत्रालय

2870. श्री मनोहर कान्त ध्यानी: क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार समस्त हिमालयी क्षेत्र के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास में आए ठहराव के निवारण के लिए पर्वतीय विकास हेतु एक पृथक मंत्रालय स्थानीय करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या योजना आयोग में भी ऐसे क्षेत्रों के लिए एक प्रकोष्ठ स्थापित किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ): (क) से (घ) जी, नहीं। किसी क्षेत्र की योजनाएं विकास तथा इस उद्देश्य हेतु निधियों का आबंटन प्रमुख रूप से संबंधित राज्य सरकार का दायित्व है।

पर्वतीय क्षेत्रों के विकास हेतु राज्य सरकारों के प्रयासों को पुष्ट करने के उद्देश्य से, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, एचएडीपी के अन्तर्गत निर्दिष्ट पर्वतीय क्षेत्रों तथा उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) को आर्थिक विकास की उनकी स्कीमों तथा सात उत्तर पूर्वी राज्यों में अन्तर्राज्यीय महत्व हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

इसके अलावा केन्द्रीय सहायता का दो तरह से वितरण मानक फारमूले से लाभ के लिए देश के पर्वतीय राज्यों को विशेष श्रेणी राज्यों के रूप में रखा जाता है। प्रथमत: राज्यों को योजना सहायता के रूप में वितरण हेतु उपलब्ध संसाधनों का 30 प्रतिशत विशेष श्रेणी राज्यों को प्रदान किया जाता है यद्यपि जनसंख्या में उनका हिस्सा काफी कम है। अत: उनकी प्रतिव्यक्ति केन्द्रीय योजना सहायता अन्य राज्यों या अखिल भारतीय औसत की तुलना में काफी अधिक है। दूसरे, इन राज्यों को केन्द्रीय सहायता अनुदान एवं ऋण संयोजन के अनुसार उदारता के आधार पर दी जाती है। विशेष श्रेणी राज्यों की स्थिति में, अनुदान व ऋण के मध्य अनुपात 90:10 है, अर्थात् 90 प्रतिशत अनुदान तथा 10 प्रतिशत ऋण जबकि गैर-विशेष-श्रेणी राज्यों की स्थिति में यह अनुपात 60:70 है, अर्थात् 30 प्रतिशत अनुदान 70 प्रतिशत ऋण इस प्रकार, विशेष श्रेणी राज्य कुल सहायता राशि की दृष्टि से तथा सहायता में अनुदान संयोजन की दृष्टि से भी लाभपूर्ण स्थिति में रहते हैं।

योजना आयोग में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा उत्तर पूर्वी परिषद के लिए एक प्रभाग पहले से ही मौजूद है।